न्यायालय माननीय राजस्व म०हल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१४ निगरानी R1541-II/14

१- जानकी पुत्र रम्पू पटवा,
२- पतराम | पुत्रगण जानकी पटवा,
३- गोकुल | समस्त निवासीगण ग्राम लाँच
४- छब्बू | तेहसील इन्दरगढ़, जिला -
दतिया- मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

बिरुद्ध

१- रवीशंकर | पुत्रगण अक्केलाल
२- मनोज |
३- श्रापर्ती वेवा अक्केलाल,
समस्त निवासीगण ग्राम लाँच तेहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया -मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय इन्दरगढ़ दिनांकी ७-३-१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्रकरण क्रमांक १५।१३-१४ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिया गया है, लेकिन स्थगन आवेदन पत्र को बिना किसी आधार के निरस्त किया है जो न्यायोचित

क्रमशः :-- २

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1541–दो/14 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ जिला दतिया के प्रकरण कमांक 15/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07.03.14 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ जिला दतिया द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.10.14 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य **कलेक्टर जिला दतिया**	